भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4793**
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन**

**†4793. श्री सुनील बोसः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) जेजेएम के उद्देश्यों और घटकों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा 2024 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) आज की तारीख तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शत-प्रतिशत नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और
(च) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जेजेएम के तहत निम्नलिखित घटकों की परिकल्पना की गई है:

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गांव में पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना का विकास।
ii.) जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन।

iii.) थोक जल हस्तांतरण, शोधन संयंत्र और संवितरण नेटवर्क।
iv.) जहां पानी की गुणवत्ता मुद्दा है, वहां संदूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।
v.) 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए पूर्ण और चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग।
vi.) ग्रे वाटर प्रबंधन-शोधन और पुन: उपयोग;
vii.) समुदायों के कार्यकलापों और क्षमता निर्माण में सहायता करना; और
viii.) प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के कारण किसी भी अप्रत्याशित चुनौतियों/मुद्दों का समाधान करने के लिए निधियां।

शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को वर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(घ) से (च): जेजेएम की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.08.2025 तक, 12.45 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.08.2025 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.69 करोड़ (81.02%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

अब तक, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण दीव और पुडुचेरी ने सूचित किया था कि उन्होंने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति जेजेएम-आईएमआईएस में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Physical/JJMRep_HouseholdTapWaterConnection.aspx

इसी प्रकार, जेजेएम के अंतर्गत निधि आबंटन, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा भी जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

*****